EAST CENTRAL RAILWAY

YELLOW BULLETIN

(April -2024, ISSUE NO. 70)

Contains Irregularities/Deficiencies detected during inspections: -

1.	**At JHD station, Two Walkie-Talkie sets are provided but both are defective.**
2.	**Stretcher was not available in 13329/13330 Ganga Damodar Express on 13/14.04.2024, Stretcher and PCP Set was not available in Brake Van of train no 15527 on 28.04.2024 and Stretcher, PCP Set and E. L. Box was not available in Brake Van of train no 13031 on 28.04.2024.**
3.	**In GWR, location of LC no 54/C/E between UPJ & KPGM is mentioned at km 36/19-21 but actual location is km 36/10-11.**
4.	**At LC no 67 BT and 68 BT of Danapur Yard, both side booms were without retro reflective strips.**
5.	**First aid box was not found at DES station.**
6.	**At LC no 37/A/T Desari yard, both side gate indicator Board was not available.**
7.	**During Brake Van inspection in 05553 PNBE GAYA Passenger on 17.04.2024, Guard certificate and first aid box were not available & 13330 Ganga Damodar express on 20.04.2024, Guard certificate, T/609 and complain book was not available with Guard.**
8.	**During foot plate of 18623 IPR-HTE express on 13.04.2024 it was noted that Cautions are in continuity and in longer span, due to which excess time is being consumed. Imposed cautions are of 30/45/75/30 from KM 375/14 to 365/22 and time taken to clear caution zone was 19 mts.**
9.	**At PNME station, Traffic Block cancellation time is not being endorsed by Engineering officials and SMs are mentioning the time either as communicated orally or as per receipt of Cancellation Memo where no time is given.**
10.	**At PNME station and PKA station, Stabling Register is maintained but the format is not properly printed as per the detail issued by HQ. Guard and LPs are signing the Stabling Register, but they should also check & confirm that Wooden Wedge/Chain has been placed and Hand Brakes are applied as the case may be.**
11.	**At PNME station, Shifting of VTO has not yet done though it was advised long back. This is vitiating the SWR provisions.**
12.	**At PNME station, working environment of El Room is not friendly due to single-story building and roof heating. Even, ceiling fan becomes not usable due to hot air reflection. AC provision in El Rooms seems necessary.**
13.	**At PKA station, no local power supply is available at the station and during both Up/Dn Power Block, Data Logger equipment, Announcement & Light/Fan cannot be used.**
14.	**At PKA station, SWR dated 03.03.23 is in use since 06.03.23 which is signed by DOM/DSTE and not by Sr.DOM/Sr.DSTE, which is against the provisions of SWR signing issued by HQ. SR 5.06 has mention regarding signature by DOM/DSTE but this provision has been revised through instructions to all Divisions.**

SPECIAL ATTENTION TO BE PAID: -

(i) All Guards of the passenger carrying train shall keep with them a copy (in hard or electronic form) of the working time table along with corrigendum, if any, of the divisions in which they work the trains.

(ii) Ensure the availability of brake van equipments & First Aid Box in each passenger carrying trains.

(iii) Update the format of load stable register and line block and clear register as per rules.

(iv) When train is running through from stations, the Guard should exchange all right signal with the Station staff and the loco pilot as per GR &SR 4.42. In addition, the exchange of signals between the Guards in Block Section should be done in accordance with SR 4.42. (4).

(v) When a train is stabled at the station, the Guard and the Loco Pilot shall ensure the securing of the train in accordance with SR 5.23 and sign in the stabling register indicating wooden wedge/chain has been used and hand brakes are applied where applicable.

"Divisions are advised to ensure immediate circulation (in yellow color printout) to all concerned for initiating action and compliance of the above irregularities/anomalies/Special Attention and report to be sent to this office for onward action."

BINAY KUMAR DAS
Digitally signed by BINAY KUMAR DAS
Date: 2024.05.10 13:26:41 +05'30'

(B. K. Das)
COM/G/ECR

No.ECR/OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505 Dated -10.05.2024.

Copy to:- 1. PCOM & PCSO- for kind information please.
2. DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ - for kind information please.
3. Sr.DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.
4. ZRTI MFP & BHULI for information please.

पूर्व मध्य रेल

<u>येलो बुलेटिन</u>

(अप्रैल – 2024 अंक सं-.70)

मुख्यालय द्वारा किए गये निरीक्षण के दौरान पाए गए कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए:-

1.	जहानाबाद स्टेशन पर दो वॉकी-टॉकी सेट उपलब्ध कराए गए हैं लेकिन दोनों खराब हैं।
2.	दिनांक 13/14.04.2024 को ट्रेन संख्या 13329/13330 गंगा दामोदर एक्सप्रेस के ब्रेकयान में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं था। दिनांक 28.04.2024 को ट्रेन संख्या 15527 के ब्रेकयान में स्ट्रेचर और पीसीपी सेट उपलब्ध नहीं था और दिनांक 28.04.2024 को ट्रेन संख्या 13031 की ब्रेकयान में स्ट्रेचर, पीसीपी सेट और ई.एल. बॉक्स उपलब्ध नहीं था।
3.	उजियारपुर स्टेशन और कर्पूरी ग्राम स्टेशन के बीच स्थित एलसी नंबर 54/सी/ई के जीडब्ल्यूआर में इसका स्थान किमी 36/19-21 उल्लिखित है लेकिन वास्तविक स्थान किमी 36/10-11 है।
4.	दानापुर यार्ड के एलसी संख्या 67 बीटी और 68 बीटी पर दोनों साइड बूम पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स नहीं लगा हुआ था।
5.	देसरी स्टेशन पर प्रथम उपचार बॉक्स उपलब्ध नहीं था।
6.	एलसी नंबर 37/ए/टी देसरी यार्ड पर, दोनों तरफ का गेट इंडिकेटर बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
7.	दिनांक 17.04.2024 को ट्रेन संख्या 05553 (पटना - गया पैसेंजर) में ब्रेकयान निरीक्षण के दौरान, गार्ड प्रमाण पत्र और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध नहीं था और दिनांक 20.04.2024 को ट्रेन संख्या 13330 गंगा दामोदर एक्सप्रेस में, गार्ड प्रमाण पत्र, टी/609 और शिकायत पुस्तिका गार्ड के पास उपलब्ध नहीं था।
8.	दिनांक 13.04.2024 को ट्रेन संख्या 18623 इस्लामपुर – हटिया एक्सप्रेस के फुट प्लेट के दौरान यह पाया गया कि सतर्कता आदेश लंबे खंड पर और निरंतर लगा हुआ हैं जिसके कारण अतिरिक्त समय लगता है। लगाई गई सतर्कता आदेश किमी 375/14 से 365/22 तक तथा क्रमश गति 30/45/75/30 की हैं, जिसके कारण काशन ज़ोन क्लियर करने में 19 मिनट का समय लग जाता हैं।
9.	पारसनाथ स्टेशन पर, इंजीनियरिंग अधिकारियों द्वारा ट्रैफिक ब्लॉक रद्द करने के समय रद्दीकरण मेमो में समय नहीं लिखा जाता है और एसएम को या तो मौखिक रूप से समय सूचित किए जाता हैं अथवा रद्दीकरण मेमो मिलने के समय को वह नोट कर्ता हैं जिसमें समय का उल्लेख नहीं होता हैं।
10.	पारसनाथ स्टेशन और प्रधानखूंटा स्टेशन पर स्टेबलिंग रजिस्टर मैन्टैन किया जा रहा हैं लेकिन मुख्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रारूप ठीक से मुद्रित नहीं है। गार्ड और एलपी स्टेबलिंग रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी जांचना और पुष्टि करना चाहिए कि लकड़ी की गुटका /चेन लगाई गई है और हैंड ब्रेक लगाए गए हैं, जो भी आवश्यक हो ।
11.	पारसनाथ स्टेशन पर, वीटीओ का स्थानांतरण अभी तक नहीं हुआ है, जबकि इसकी सलाह बहुत पहले दी गई थी। यह एसडब्ल्यूआर प्रावधानों को ख़राब कर रहा है।
12.	पारसनाथ स्टेशन पर एकल मंजिला इमारत और छत गर्म होने के कारण एस.एम रूम का कामकाजी माहौल अनुकूल नहीं है। यहां तक कि, गर्म हवा के कारण सीलिंग फैन भी उपयोग करने योग्य नहीं रह जाता है।एस.एम रूम में एसी की व्यवस्था जरूरी लगतीहै।
13.	प्रधानखूंटा स्टेशन पर स्थानीय बिजली आपूर्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण अप एवं डाउन दोनों पावर ब्लॉक के दौरान, डेटा लॉगर उपकरण, उदघोषणा और लाइट/पंखे का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
14.	प्रधानखूंटा स्टेशन पर, एसडब्ल्यूआर दिनांक 03.03.23 का ,जो दिनांक 06.03.23 से उपयोग में है, जिस पर डीओएम/डीएसटीई द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार वरीय डीओएम/ वरीय डीएसटीई द्वारा, एसडब्ल्यूआर हस्ताक्षर किया जाना है। एसआर 5.06 में डीओएम/डीएसटीई द्वारा हस्ताक्षर के संबंध में उल्लेख है लेकिन सभी मंडलों को मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देशों के माध्यम से संशोधन से अवगत कराया गया है।

<u>विशेष रूप से ध्यान दें</u> :

(i) यात्री वाहक गाड़ी के सभी गार्ड अपने साथ उन मंडलों के कार्य कारी समय सारणी शुद्धि पत्र सहित, यदि कोई हो, की एक प्रति)हार्ड अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में (को रखेंगे, जिन खंड में उन्हें कार्य करना है ।

(ii) सुनिश्चित करें कि जब कोई गार्ड यात्री वाहक गाड़ी में कार्य कर रहे हो तो प्राथमिक उपचार पेटी के साथ ब्रेकयान उपकरण भी उपलब्ध हो ।

(iii) लोड स्टेबल रजिस्टर तथा लाइन ब्लाक एवं क्लियर रजिस्टर के फार्मेट की नियमानुसार अद्यतन रखें ।

(iv) जब गाड़ी रन थ्रू जा रही हो तो गार्ड के दवारा स्टेशन कर्मचारियों एवं लोकोपायलट के साथ सामान्य एवं सहायक नियम 4.42 का पालन करते हुए आल राइट सिगनलों का आदान प्रदान करना चाहिए । इसके अलावा स्टेशनों के मध्य गार्डों के बीच सिगनलों का आदान प्रदान सहायक नियम 4.42 (4) के अनुसार करें।

(v) जब गाड़ी स्टेशन पर स्टेबल किया जाता है तो गार्ड एवं लोकोपायलट, गाड़ी को सहायक नियम 5.23 के अनुसार सुरक्षित करना सुनिश्चित करें और यह इंगित करते हुए स्टेबलिंग रजिस्टर में हस्ताक्षर करें कि लकड़ी का गुटका चेन का / उपयोग किया गया है और जहां लागू हो वहां हैंड ब्रेक लगाए गए हैं ।

"मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्व संबंधित को तत्काल वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करे और उपरोक्त अनियमितताओं/विसंगतियों/ विशेष ध्यान के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित करें ।"

BINAY KUMAR DAS

Digitally signed by BINAY KUMAR DAS
Date: 2024.05.10 13:27:31 +05'30'

(बी.के.दास)

मुख्य परिचालन प्रबंधक (सा) /पू म रे

सं. ई.सी.आर. /परि.सं./ येलोबुलेटिन/ 87 /505, दिनांक 10.05.2024.

प्रतिलिपि- 1.प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।

2. मंडल रेल प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।
3. वरि.मं.परि.प्रबंधकधनबाद, दानापुर, डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
4. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ।